



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
(बस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

National Institute of Fashion Technology

(Ministry of Textile, Govt. of India)

(An ISO 9001:2008 Certified Institute)

No. NIFT/BBSR/Hindi Cell/2022

27.07.2022

परिपत्र (CIRCULAR)

विषय: हिंदी अनुवाद के संबंध में/ Hindi translation-Reg.

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय /उपक्रमों से सांविधिक अपेक्षा है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित,1967) की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित सभी दस्तावेज आदि का अनिवार्यतः द्विभाषी जारी हो और जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपान्तर, अंग्रेजी के ऊपर रहे। -

There is a statutory requirement from all the Ministries/Departments/Affiliated and Subordinate Offices/Undertakings of the Government of India that under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 (as amended, 1967), all the following documents are compulsorily issued in bilingual and issued while getting it done, it may be noted that the Hindi version should be above the English language.-

1. सामान्य आदेश(General Order)
2. संकल्प (Resolution)
3. परिपत्र(Circular)
4. नियम(Rule)
5. प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन (Administrative and Other Report)
6. प्रेस विज्ञप्तियां(Press Release)
7. संविदाएं(Contract)
8. करार(Agreement)
9. अनुज्ञप्तियां(Licenses)
10. निविदा प्ररूप(Tender form)
11. अनुज्ञा-पत्र(Permit)
12. निविदा सूचनाएं(Tender Notice)
13. अधिसूचनाएं(Notifications)
14. संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज-पत्र (Reports and papers to be laid before Parliament)

अतः इस क्रम में संस्थान के समस्त विभाग और अनुभाग से अनुरोध है उक्त दस्तावेज के अंग्रेजी प्ररूप का हिंदी अनुवाद के लिए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पास भेजने का कष्ट करें।

Therefore, in this sequence, all the departments and sections of the Institute are requested to send the English version of the said document to the Junior Translation Officer for Hindi translation.

(शोभन कृष्णा साहू)

निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, निफ्ट भुवनेश्वर

2. परिपत्र /Circular File